दस्तावेज श्रृंखला: मत्स्यिकी

राजस्थान में मत्स्य पालन और मछुआरा सहकारी समितियों की स्थिति

गोविंद मीणा[1], सुनील दुबे[2]
एक दस्तावेज
पारिस्थितिकी एवं आजीविका कार्य संस्थान
(Institute for Ecology and Livelihood Action)
ईमेल: ielaindia15@gmail.com; **फोन:** +91 9828270661, 9461707880, 7014920553

राजस्थान राज्य में मीठे पानी और खारे पानी दोनों के संसाधन हैं। इनमें अपनी पूर्ण भराव क्षमता पर 4.23 लाख हेक्टेयर का ताजा पानी क्षेत्र और 1.80 लाख हेक्टेयर का लवण प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा 30000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नदी और नहरों के रूप में और 80,000 हेक्टेयर जलभराव क्षेत्रों के रूप में मौजूद है। राज्य का मत्स्य पालन विभाग मत्स्याखेट (व्यावसायिक मछली पकड़ने की गतिविधियों) को नियंत्रित करता है और केंद्र एवं राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सम्बंधित योजनाओं को भी लागू करता है। सरकारी अभिलेखों के अनुसार राज्य में लगभग 16500 मछुआरे लक्षित मत्स्य उत्पादन के साथ मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं और राज्य में मछली संसाधनों का औसत उत्पादन 200 किलोग्राम/हेक्टेयर है।

राज्य में तीन बड़े जलाशय हैं जहां स्थानीय समुदायों को मछली पकड़ने का अधिकार है और वे मछली की खरीद के लिए अधिकृत (नीलामी में खरीद की उच्चतम बोली देने वाले) ठेकेदार को मछली बेचते हैं। ये तीन जलाशय जयसमंद झील (उदयपुर जिला), कडाना झील (डूंगरपुर जिला) और माही बांध (बांसवाड़ा जिला) हैं। इन तालाबों के आसपास के गांवों में जहां मछुआरा समुदाय रहते हैं, वहां मछुआरों की ग्रामवार सहकारी समितियां गठित की जाती हैं। इन समितियों का नाम 'मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति' है। प्रत्येक मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति में से एक सदस्य को 'व्यवस्थापक' के रूप में नामित किया जाता है, जो प्रत्येक मछुआरे के दैनिक मछली पकड़ने का रिकॉर्ड रखने और सहकारी समिति के खाते के माध्यम से मछुआरों को समय-समय पर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है। मछुआरों से जिस जिस किस्म की मछली प्राप्त की जाती है उनके आकर एवं वजन के अनुसार निर्धारित सरकारी दर के अनुसार ठेकेदार समय-समय पर मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति में सभी मछुआरों की

[1] IELA (मत्स्य अनुभाग) के सहयोगी और व्यवस्थापक, मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति, मिंदुडा, जयसमंद, उदयपुर, राजस्थान।

[2] संयुक्त प्रबंध न्यासी, IELA और पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्वतंत्र सलाहकार, उदयपुर, राजस्थान।

कुल राशि जमा करता है। व्यवस्थापक मत्स्य विभाग और सहकारी समिति के बीच समन्वय का कार्य भी करता है। जानकारी के अनुसार जयसमंद में 23, कड़ाना में 17 और माही में 18 ग्रामवार मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियां हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 7000 मछुआरे पंजीकृत सदस्य हैं।

कोविड -19 महामारी की शुरुआत से पहले तक मछली पकड़ने की गतिविधि हमेशा की तरह चल रही थी लेकिन महामारी शुरू होने के बाद ठेकेदार द्वारा मछली खरीद को रोकने के कारण स्थिति भीषण हो गई है। हालांकि मत्स्य विभाग ने अप्रैल 2020 में ही मछली पकड़ने और इसकी बिक्री और अंतर-राज्य परिवहन जारी रखने के संबंध में नोटिस जारी किया था, लेकिन ठेकेदार (जिसके पास उपरोक्त जलाशयों का अनुबंध था) ने खरीद बंद कर दी और स्थानीय मछुआरों को निःसहाय छोड़कर मछली तुलाई केंद्रों को बंद कर दिया।

कुछ मुद्दे जो कोविड -19 महामारी की शुरुआत के बाद ध्यान में आए हैं और जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं:

I. जयसमंद, कडाना और माही में खरीद ठेकेदार ने पिछले साल के कोविड-19 लॉकडाउन की शुरुआत से मछली खरीद बंद कर दी है। मछली तुलाई केंद्रों को अनौपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। मत्स्य विभाग द्वारा स्थानीय मछुआरों को बिना सहायता के छोड़ दिया गया है और राज्य के मछुआरा समुदायों के लिए कोई विशिष्ट कोविड -19 राहत योजना या उपायों की घोषणा नहीं की गई है। स्थानीय मछुआरे अपनी मछलियों को अपने साधनों से परिवहन करने और खुद बाजार में बेचने को मजबूर हैं। उनमें से कई ने वैकल्पिक आजीविका जैसे दिहाड़ी मजदूरी का काम, छोटी सब्जी और किराना दुकान आदि खोजने की भी कोशिश की।

II. राज्य भर में मछली पकड़ने के लिए निर्धारित जलाशयों जहाँ ठेकेदारों को मछली पकड़ने के ठेके दिए जाते हैं, पर भी स्थिति उपरोक्त तरह ही है। ये ठेकेदार ज्यादातर अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आदि से मछुआरों को लाकर काम पर रखते हैं, इनमें से अनेक मछुआरे पिछले साल के दौरान ही अपने घर लौट गए थे। लॉकडाउन के दौरान मछली पकड़ने की गतिविधि की अनुमति के बावजूद प्रवासी मछुआरे पर्याप्त संख्या में नहीं लौटे हैं इसलिए ठेके पर मछली पकड़ने की गतिविधि अभी भी बाधित है।

III. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्य के मछुआरा समुदायों के लिए कोई विशिष्ट कोविड -19 राहत योजना या उपायों की घोषणा नहीं की गई है, उन्हें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा घोषित खाद्य सुरक्षा योजना आदि के तहत मुफ्त और सस्ता राशन सहित

अन्य सभी राहत योजनाएं मिल रही हैं, लेकिन मत्स्य पालन निदेशालय और राज्य मत्स्य पालन विभाग द्वारा कोई ध्यान या समर्थन नहीं दिया गया है।

IV. मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के माध्यम से मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति सदस्यों और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के बीच कोई संचार या संवाद या सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं हो रहा है। न तो कोविड -19 संबंधित दिशानिर्देशों के बारे में कोई आधिकारिक सूचना, न ही मत्स्य विभाग से राहत उपायों और टीकाकरण के संबंध में कोई जानकारी।

V. पिछले साल के लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से मत्स्य निदेशालय एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों और मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों और मछुआरा समुदायों के व्यवस्थापकों की कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठक नहीं हुई है।

VI. जयसमंद, माही और कडाना के लिए मछली खरीद की नई निविदाएं आमंत्रित की जानी है और इसे वर्तमान में चल रहे मत्स्याखेट निषेध काल (मानसून काल में मछली पकड़ने पर रोक) के अंत से पहले तक अंतिम रूप दिया जाना है।

VII. राज्य सरकार ने मछुआरों की आजीविका बहाल करने में मदद करने के लिए मत्स्याखेट निषेध काल को एक महीना (यानी 16 जून से 31 जुलाई 2021 के बजाय 16 जून से 31 जुलाई 2021 तक) छोटा कर दिया है।

VIII. मानसून काल में जलाशयों में छोड़े जाने वाले मत्स्य बीज की किस्में और मात्रा (संख्या) का निर्धारण मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरा समुदाय और मत्स्य उत्पादक सहकारिता समितियों के व्यवस्थापकों से परामर्श के बिना किया जाता है; इस वर्ष भी यही प्रथा अपनाई गई है।

IX. मछुआरा समुदायों में कोविड संक्रमण के बहुत कम मामले थे क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वे अधिकतर अपने घरों तक ही सीमित रहते थे और बेवजह बाहर नहीं घूमते थे इसलिए महामारी से अधिकांशतः सुरक्षित रहे।

X. राज्य सरकार के कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण अभियान चल रहा है और मत्स्य विभाग मछुआरा समुदाय के टीकाकरण के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है या कोई सहायक भूमिका नहीं निभा रहा है। टीकाकरण की पहली खुराक लगने का कार्य पूरा हो चुका है और दूसरी खुराक जल्द आने की उम्मीद है।

XI. राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य कल्याण योजनाओं की एक घोषणा (दस्तावेज) जारी की है, लेकिन वह भी मछुआरा समुदायों या यहां तक

कि मत्स्य उत्पादक सहकारिता समितियों के व्यवस्थापकों को भी सूचित नहीं किया गया है।

XII. पिछले साल के लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से 'सामूहिक दुर्घटना बीमा' के बारे में कोई नवीनतम प्रगति की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

XIII. 'बचत सह राहत' योजना नियमानुसार क्रियान्वित नहीं की जा रही है और न ही जयसमंद, माही और कडाना के मछुआरों से निर्धारित राशि के अनुसार बचत एकत्र की जा रही है, न ही उन्हें मत्स्याखेट निषेध काल के दौरान राहत राशि के रूप में वापस दी जाती है)। इस योजना में मछली पकड़ने के मौसम (अर्थात 9 महीने) के दौरान एक पंजीकृत मछुआरे से कुल 1500 रुपये के संग्रह का प्रावधान है और उसी राशि में बराबर की राशि क्रमशः राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जोड़ी जाती है, जिससे कुल 4500 रुपये की राशि दी जाती है जो मत्स्याखेट निषेध काल के दौरान मछुआरे को तीन महीने1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दी जाती है। इसके बजाय, मछुआरों से मछली पकड़ने की अवधि के दौरान प्रति माह 100 रुपये एकत्र किए जाते हैं (अर्थात यदि मछुआरों ने 5 महीने तक मछली पकड़ने का काम किया है तो उससे 500 रुपये एकत्र किए जाएंगे) और उतनी ही राशि राज्य और केंद्र सरकार के योगदान के तहत जोड़ कर (अर्थात राज्य और केंद्र से 500-500 रुपये और, इस प्रकार कुल 1500 केवल) वह कुल राशि (उदाहरण के लिए 1500 रुपये) का भुगतान बंद मौसम के दौरान उसे / उसे किया जाएगा।

XIV. नावों और जालों का वितरण एक अनियमित गतिविधि है जो लंबे समय से नहीं हुई है। नावों और जालों की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई आधिकारिक सहायता नहीं है और गरीब (बीपीएल श्रेणी सहित) मछुआरे सारा खर्च खुद वहन करने को मजबूर हैं।

XV. अंतर्देशीय मत्स्यिकी विकास जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान के प्रावधान हैं; प्रसंस्करण, परिवहन प्रतिष्ठान आदि। प्रावधान में सामान्य श्रेणी के मछुआरे के लिए कुल लागत का 40% अनुदान और महिला, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और सहकारी समितियों के लिए 60% अनुदान निर्धारित है। जबकि अधिकांश स्थानीय मछुआरे बीपीएल वर्ग में आते हैं और उनके पास सम्मानजनक आजीविका बनाए रखने के लिए अधिक संसाधन नहीं हैं, अतः निर्धारित अनुदान कम लगता है और इसे सामान्य के लिए 60% और महिला, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और सहकारी समितियों के लिए 75% तक करने की मांग है।

<u>समापन टिप्पणियाँ:</u>

क) मार्च 2020 से कोविड -19 महामारी की अवधि के दौरान मत्स्य विभाग से कोई सहयोग नहीं मिला है और मछुआरों को मत्स्य विभाग द्वारा आजीविका के लिए बिना सहायता के छोड़ दिया गया है।

ख) जयसमंद, कडाना और माही के मछुआरा समुदाय खरीद ठेकेदार पर निर्भर रह गए हैं और यदि वह ठेकेदार खरीद बंद कर देता है या अपना ठेका वापस ले लेता है (जैसा कि कोविड - 19 लॉकडाउन के दौरान हुआ है) तो विभाग के पास मछली खरीद और बाजार में बिक्री जारी रखने का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। सरकार द्वारा नियत ठेकेदार पर निर्भरता काम करने के लिए और आत्मनिर्भर रूप से बाजार में मछली बिक्री के लिए 'स्थानीय मछुआरा उद्यम/उपक्रम' वैकल्पिक समाधानों में से एक हो सकता है।

ग) राजस्थान में मछुआरा समुदाय का एक मजबूत महासंघ बनना अतिआवश्यक है और 'राष्ट्रीय लघु श्रेणी मछुआरा मंच' (नेशनल प्लेटफार्म फॉर स्माल स्केल फिश वर्कर्स NPSSFW) को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। शुरुआत समर्पित व्यक्तियों/संगठनों के सहयोग से की जा सकती है, जिनका मछुआरा समुदायों के साथ स्थानीय संबंध हैं, खर्च वहन करने के लिए बजट के प्रावधानों के साथ रणनीति तैयार करना।

घ) मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के साथ जयसमंद, कडाना और माही में अलग अलग बैठकें, मछुआरों के प्रतिनिधियों के क्षेत्रीय समूहों का निर्माण और आगे की गतिविधियां करना जैसे बैठकें, उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण, स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना और मछुआरों को कानूनी सहायता प्रदान करना, क्षेत्रीय संघों के साथ-साथ सामूहिक राज्य स्तरीय महासंघ का गठन करना इत्यादि।